भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1455

(जिसका उत्तर सोमवार, 1 जुलाई, 2019/10 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट धोखाधड़ी

1455. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः
डॉ. हिना विजयकुमार गावीतः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान सूचित बढ़ती कारपोरेट धोखाधड़ी के बारे में जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कारपोरेट धोखाधड़ी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार ने हाल ही में सफेदपोश (व्हाइट कॉलर) धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार समय-समय पर आंकड़ा विनिमय स्थिति की समीक्षा हेतु आंकड़ा विनिमय संचालन समूह का भी गठन करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) निकट भविष्य में इन सफेदपोश धोखाधड़ियों को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) और (ख): जी, हां। सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान सूचित कारपोरेट धोखाधड़ी की जानकारी है। गत तीन वर्षों में गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) को 79 जांच सौंपी गईं थीं जिसमें 594 कंपनियां शामिल थीं। इसके अतिरिक्त, गत तीन वर्षों के दौरान 256 जांच कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रादेशिक निदेशकों (आरडी)/कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) को सौंपी गई हैं। इसके अलावा, एसएफआईओ ने सक्षम न्यायालय के समक्ष अनेक शिकायतें फाइल की हैं। कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा धोखाधड़ी और कंपनी अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के गैर-अनुपालन के लिए अभियोग फाइल किए गए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) प्रतिभूति बाजार से संबंधित कानूनों और विनियमनों के तथाकथित अथवा संदिग्ध उल्लंघनों की जांच के लिए अन्वेषण करता है। जांच के पश्चात् जब भी उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, सेबी अधिनियम, 1992 के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए विनियमनों के अधीन समुचित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है जिसके पश्चात् आदेश जारी किए जाते हैं। ये आदेश सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और सेबी की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।

(ग) और (घ): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 07 जून, 2019 को डाटा विनिमय के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन से स्वतः और नियमित आधार पर सेबी तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय के बीच डाटा और सूचना साझा करने की सुविधा

जारी.../2-

होगी। इससे निलंबित कंपनियों, सूची से हटाई गई कंपनियों, सेबी से शेयरधारण पैटर्न तथा कारपोरेट घरानों द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए वित्तीय विवरण, शेयरों के आबंटन की विवरणियां, कारपोरेट घरानों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्टों जैसी विशिष्ट सूचना को साझा करने में सफलता मिलेगी। समझौता ज्ञापन यह सुनिश्चित करेगा कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी दोनों का नियामक प्रयोजनों के लिए सतत् संपर्क बना रहे। डाटा के नियमित विनिमय के इसके अतिरिक्त, सेबी और कारपोरेट कार्य मंत्रालय संवीक्षा, निरीक्षण, जांच और अभियोजन को संपन्न करने के प्रयोजन हेतु परस्पर, अनुरोध पर उनके अपने-अपने डाटाबेस में उपलब्ध कतिपय सूचना का आदान-प्रदान भी करेंगे।

(ङ): कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी के बीच डाटा के आदान-प्रदान हेतु 07 जून, 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। उक्त समझौता ज्ञापन के खंड संख्या 24 द्वारा डाटा विनिमय संचालन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाएगा :

क) कार्यकारी निदेशक, सेबी

ख) संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ग) नोडल अधिकारी और वैकल्पिक नोडल अधिकारी, सेबी

घ) नोडल अधिकारी और वैकल्पिक नोडल अधिकारी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(च): सरकार ने गंभीर कारपोरेट धोखाधड़ी के मामलों की जांच करने के लिए 02 जुलाई, 2003 के सरकारी संकल्प के माध्यम से गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) की स्थापना की। केंद्र सरकार ने एसएफआईओ को आदेश देते हुए ऐसी अनेक कंपनियों की जांच के मामले सौंपे हैं जहां कारपोरेट घरानों द्वारा कथित धोखाधड़ी की गतिविधियां सूचित की गई थीं। इनमें प्रवर्तकों/शीर्ष प्रबंधन द्वारा निधियों को हड़पने और धन उधार देने वालों को धोखा देने के मामले शामिल हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। सरकार ने धोखाधड़ी को कम करने और रोकने के लिए कई उपाय किए हैं; (i) कंपनी अधिनियम, 2013 में धोखाधड़ी को एक मुख्य अपराध के रूप में शामिल किया गया है; (ii) कंपनी अधिनियम, 2013 में कारपोरेट शासन के लिए अधिक कठोर मानक निर्धारित किए गए हैं; (iii) प्रत्येक विद्यमान या भावी निदेशक के लिए "निदेशक पहचान संख्या" (डिन) प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है; (iv) मंत्रालय ने किसी नई कंपनी के निगमन या विद्यमान कंपनी के कार्यालय के पते में परिवर्तन के मामले में व्यावसायिकों द्वारा कंपनी के विवरण को सत्यापित करना और वैयक्तिक रूप से उनके परिसरों का दौरा करना और यह प्रमाणित करना कि वे परिसर इस कंपनी के नियंत्रण में हैं, अनिवार्य कर दिया है; (v) मंत्रालय ने निवेशक जागरूकता कार्यक्रम जो नियमित रूप से तीन व्यावसायिक संस्थानों अर्थात् भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से विभिन्न शहरों में आयोजित किए जाते हैं, के माध्यम से लोगों को सुग्राही बनाने के उद्देश्य से, प्राथमिक उपाय भी किए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने केवाईसी प्रतिमान भी शुरू किए हैं और 16,80,472 निदेशकों ने इन प्रतिमानों का अनुपालन किया है। सेबी ने सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल बाजार को बढ़ावा देने और बाजार की सत्यनिष्ठा की संरक्षा करने के लिए प्रणालियों और व्यवहारों में सुधार किया है। प्रणालियों और व्यवहारों की लगातार समीक्षा की जाती है और आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित किया जाता है। सेबी बाजार में सतत् सतर्कता बनाए रखती है और जब भी, किसी एंटिटी को धोखाधड़ी संबंधी गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो इसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी अनियमितताएं पाई जाती हैं, सेबी अधिनियम, 1992 और इसके अधीन बने विनियमनों के उपबंधों के अधीन सेबी निदेशन, न्यायनिर्णयन, पूछताछ आदि जैसी समुचित कार्यवाही करती है।

****